न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-225RAAJodhpur2022-137RTA225 Kewalram ors Vs Jhamu etc

01. केवलराम पुत्र भारमलराम
02. बगडुराम पुत्र भारमलराम
03. कानाराम पुत्र भारमलराम
जातियान् विश्नोई, निवासीगण– हनुमान सागर, नया बेरा, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

01. झमु पत्नी रामुराम
02. बिरबलराम पुत्र रामुराम
03. बचनाराम पुत्र स्व. जोगाराम
04. किशनाराम पुत्र स्व. जोगाराम
05. राजुराम पुत्र स्व. जोगाराम
06. मनीराम पुत्र स्व. जोगाराम
07. समदी पत्नी कालुराम
सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– ग्राम हनुमानसागर मोरिया, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
08. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 19 फरवरी 2021 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 575/2020 झमु व अन्य बनाम बचनाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 29 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 575/2020 अनवान झमु व अन्य बनाम बचनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फरवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 03 जून 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत किये जांने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 622/2 रकबा 79.01 बीघा ग्राम हनुमान सागर मोरिया तहसील लोहावट में आवागमन हेतु अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 627 रकबा 93 बीघा एवं खसरा नं. 627/1 में सें प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना ही उनके खातेदारी खसरा नं. 625 ग्राम हनुमान नगर में से अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 फरवरी 2021 के जरिये रेस्पोडेंट्स को रास्ता प्रदान किये जाने का आदेश पारित कर उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर कथन किया कि अपीलार्थीगण खसरा नं. 625 ग्राम हनुमान सागर के खातेदार है, जिन्हे पक्षकार बनाये बिना ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा उनकी खातेदारी की भूमि में सें रास्ता होने के बावजूद रास्ता मौका फर्द के अनुसार दिये जाने का आदेश पारित किया, जिस आदेश से अपीलार्थीगण व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार संयोजित किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। वर्तमान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जमाबंदी की नकल लेने अपीलाधीन रास्ते का जमाबंदी में अंकन पाया गया, जिस पर अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश की दिनांक 27.05.2022 को नकल लेने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई।

गुणावगुण पर अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा खसरा नं. 627 एवं 627/1 में से रास्ते की मांग की है, जबकि खसरा संख्या 625 में से किसी तरह के रास्ते की मांग नहीं की गई है। इसलिए आलौच्य आदेश इस्तदुआ से हटकर पारित किया गया होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को पक्षकार ही नहीं बनाया गया था। इस कारण अपीलार्थीगण अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रख सके थे, जिस कारण आलौच्य आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावल के अनुसार मौके पर पहले से ही रास्ता मौजूद था, इसलिए नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है, जो रास्ते की मांग की गई है, वह अधिनियम के प्रावधानों की मंशा के विपरीत की गई है जो अपास्त किये जाने योग्य है। मौका रिपोर्ट भी अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में व कांट–छांट करके तैयार की गई है जो प्रथमदृष्टया ही माने जाने योग्य नही है तथा मौका रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के द्वारा भी तैयार की गई नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुति की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 फरवरी 2021 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या दो के अधिवक्ता ने अपीलांट्सके अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द के आधार पर विधिसम्मत रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित है। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स खसरा नं. 625 के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान किया गया है। लिहाजा अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी ठहरते है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय में अपीलांट्स पक्षकार संयोजित नहीं होने से उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले तकनीकी आधार के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा अपने खातेदारी खसरा नं. 622/1 में आवागमन हेतु खसरा नं. 627/1 एवं खसरा नं. 627 की उतरी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट जो अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नं. 627 एवं 627/1 की माठ एवं अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 625 की माठ के सहारे–सहारे रास्ता प्रस्तावित किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका फर्द के आधार पर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाये जाने अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 575/2020 अनवान झमु व अन्य बनाम बचनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2021 को अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 625 के संबंध में अपास्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को मामले में पक्षकार संयोजित करते हुए रेस्पोडेंट्स द्वारा वांछित रास्ते के तथ्य को ध्यान में रखते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। साथ ही तब तक उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद नहीं किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर